ग्राम पंचायत, कुलग, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के
लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, कुलग, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती नीलम शर्मा	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री सन्त राम	23.01.2016 से 31.03.18 तक

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री किरपा राम	01.04.2015 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत, कुलग के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण अन्तर	5	0.002

2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7	0.49
3	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	8	16.11
4	औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही सामग्री का क्रय करना	**9**	2.47
5	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टि न करना	10	2.47
6	निर्माण कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	11(i)	4.74
7	तकनीकी प्राधिकारी के मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय/उपयोग दर्शाकर कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	11(ii)	0.11
8	मनरेगा की रोकड़ बही व व्यय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	12	35.85
9	जे0सी0बी0 भाड़ा का अनियमित भुगतान	13 (i)	2.00

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कुलग, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 11.06.2018 से 18.06.2018 ग्राम पंचायत कुलग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	08/2015	01/2016
2016-17	07/2016	09/2016
2017-18	08/2017	08/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कुलग, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2017-18-07 दिनांक 18.06.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुलग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कुलग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कुलग के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-1** अनुसार निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय **वर्ष**	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्त शेष (₹)**
2015-16	------	41766.00	41766.00	18510.00	23256.00
2016-17	23256.00	70379.00	93635.00	19854.00	73781.00
2017-18	73781.00	59929.00	133710.00	32171.00	101539.00

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय व व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय का पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है| अतः नियमानुसार स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अनुदान

ग्राम पंचायत कुलग के अवधि 01/4/2015 से 31/3/2018 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2A}** मे भी दिया गया है;

वित्तीय **वर्ष**	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्त शेष (₹)**
2015-16	808850.22	1619211.00	2428061.22	1611752.00	816309.22

2016-17	816309.22	4320224.00	5136533.22	3601336.00	1535197.22
2017-18	1535197.22	4096380.00	5631577.22	4020764.40	1610812.82

नोटः- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है |

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न** करने के कारण **₹0.002** लाख का अन्तर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक शेष में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार **₹235** का अन्तर पाया गया, जिसका समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए:-

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	101539.00	1
2.	अनुदान	1610812.82	2
3.	कुल शेष राशि	**1712351.82**	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	1712116.82	4
5.	कुल अन्तर	**235.00**	5

बचत बैंक खातों में 01.04.2015तथा 31.03.2018को शेष राशि का विवरण

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	01.04.2015	31.03.2018
सामान्य निधि	HPSCB, Chopal	40510100026	787539.00	2224.00
	---do---	40510109421	448.00	504.00
		40510107881	20863.22	23498.22
	HPSCB, Kupvi	46210100885	------	979702.60
14th FC	---do---	46210100884	------	706188.00
बचत बैंक खातों में 01.04.15 तथा 31.03.18 शेष राशि			**808850.22**	**1712116.82**

6 स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित विभिन्न करों/शुल्कों की दरों को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाना

सचिव ग्राम पंचायत कुलग ने अंकेक्षण ज्ञापन **संख्या: जी.पी. ऑडिट/ कुपवी/कुलग/2018-19-3** दिनांक 11.06.2018 के सन्दर्भ में पत्र **क्रमांक:GP/Kulag/Kupvi/-2018-19-15** दिनांक 18.06.2018 द्वारा सूचित किया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गई थीः–

नं	आय का साधन	दरें (₹)	विवरण
1	House Tax	20/-	2015-16
		20/-	2016-17
		20/-	2017-18
2	Shop Rent	------	---NA---
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	Three Revenue villages and Rs.2952/- received during the year 2015-16
4	Marriage Registration fees	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
		200/-**{BPL 25/-}**	Registration within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	---------
6	Liquor cess	As per govt. rates	---------
7	Any other receipt due		---NIL---

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दरें नियमानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं थी। अतः इस सम्बनध में अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर ₹0.49 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन **संख्या: जी.पी.ऑडिट/कुपवी/कुलग/2018-19-3** दिनांक 11/06/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत कुलग ने पत्र **क्रमांक:GP/Kulag/Kupvi/2018-19-15** दिनांक 18/06/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर **₹49,160** वसूली योग्य शेष दर्शाई गई है, जिसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः-

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शेष राशि (₹)
01.04.15	**01.04.08 से 31.03.2015 तक गृहकर की कुल मांग**				32,600
2015-16	269	20/-	5380/-	------	37980
2016-17	273	20/-	5460/-	------	43440

2017-18	286	20/-	5720/-	------	49160
			गृहकर की वसूली योग्य राशि		**49160**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय, प्राप्त आय तथा वसूली योग्य शेष राशि का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका। अतः **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान राशि ₹16.11 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट-2** के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक प्राप्त अनुदानों से **₹16,10,812** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है वहीं इस राशि से क्रियान्वित होंने वाली **सरकारी योजनाओं** के फलस्वरूप होने वाले लाभों से भी ग्रामीणों को वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त समयावधि की **बढ़ौतरी की स्वीकृति** के भीतर उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.47 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर सामग्री क्रय करने की औपचारिकताएं विहित है जिसके अनुसार ₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित (Tenders)** किया जाना अपेक्षित है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| इसी तरह नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय उप समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है जिसमें प्रधान, उप प्रधान, नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किए तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का क्रय किया था, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया

जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय विहित नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ओपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना खरीदी गई निर्माण सामग्री का विवरण

तिथि	**बिल** संख्या	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रय सामग्री** का विवरण	**राशि (₹)**
		सामान्य निधि- (माह-01/2016)		
28.12.15	2300	अशोका ट्रेडर्स ददाहू	71 बैग सीमेंट	23430
04.01.16	314	दलीप सिंह मान्टा	69 बैग रेत	6900
---do---	315	------do------	70 बैग रेत	7000
------	कच्ची रसीद	केरासु राम	214 बैग बजरी	10700
12.06.15	243	खेढ़ा हार्डवेयर राजगढ़	612 किलो सरिया	26650
18.08.15	873	कंसल बिल्डिंग सलूशन	2.25m3 ब्रिक्स	6075
23.08.15	911	------do------	1.78m3 ब्रिक्स	4807
		मनरेगा- (माह-08/2017)		
------	654	श्यामा दीवान गुड्स	161 बैग रेत	13685
------	655	कैरियर कुपवी	11.54 m3 बजरी	9803
------	673	------do------	28.61 m3 बजरी	35362
------	674	------do------	414बैग रेत	33120
------	695	------do------	11.66 m3 बजरी	10025
------	697	------do------	161 बैग रेत	13363
------	698	------do------	22 m3 बजरी	27211
------	699	------do------	232 बैग रेत	18671
			कुल योग	**246802**

10 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में **प्रविष्टि न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु उक्त पैरा 9 में दिए विवरणानुसार **क्रय की गई विभिन्न मदों की प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की** गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में

वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा **क्रय की गई प्रत्येक मद की प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके** अपेक्षित **अनुपालना से अंकेक्षण को** भी **अवगत करवाया जाए** और **भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव** विहित **नियमानुसार** ही **किया जाना सुनिश्चित किया जाए|**

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएँ

(i) निर्माण कार्यो पर व्यय **₹4.74** लाख **के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण** हेतु **प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Kulag/ 2018-19-2 दिनांक 11/06/2018 के प्रत्युत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कुलग के पत्र क्रमांक:GP/Kulag/Kupvi/2018-19- 14 दिनांक 18.06.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के क्रमांक 3,10,13,14,व् 16 अनुसार विकास कार्यो पर **₹4,74,000** व्यय की गई है परन्तु इससे सम्बन्धित **प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा** कार्य के **पूर्ण होने** का प्रमाण पत्र इत्यादि **अभिलेख अंकेक्षण** हेतु **प्रस्तुत नहीं** किए **गए**, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर व्यय लाखों रूपये का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का निर्माण कार्यो में उपयोग करने के कारण **₹0.11** लाख **का सम्भावित दुर्विनियोजन**

निर्माण कार्यों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने **के दौरान पाया गया** कि **निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक ₹**10764 की निम्न वर्णित निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था जोकि अनियमित है तथा ऐसे में निर्माण सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

निर्माण सामग्री का नाम	निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक उपयोग निर्माण सामग्री की मात्रा	क्रय दर (₹)	अनियमित राशि व्यय (₹)
14th FC:-निर्माण पक्का रास्ता कुलग से बांउडी MB-16562 पृष्ठ-8-10					
पत्थर	45 cum	32 Cum	13cum	563 Per cum	7319

सामान्य:-निर्माण सराय भवन HB गुगा मन्दिर सामुवी MB-13574 पृष्ठ-32-36					
सीमेंट	71बैग	66 बैग	5 बैग	368Per bag	1840
मनरेगा:-निर्माण पक्की गली नाली नाग		**Assessment Sheet**			
सीमेंट	54 बैग	51 बैग	3 बैग	307 Per bag	921
बजरी	11.66cum	10.89cum	0.77	889 Per cum	684
				कुल योग	**10764**

12 मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय ₹35.85 लाख से सम्बन्धित रोकड़ बही व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे जॉब कार्ड पंजीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि उक्त अवधि में (Online Financial Statements) के अनुसार ₹35,84,609 का ऑनलाइन भुगतान किया गया था जिसको आधार मानकर ही पंचायत की निम्न विवरणानुसार वित्तीय स्थिति तैयार की गई है। अतः वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए:–

वित्तीय वर्ष (₹)	मजदूरी (₹)	सामग्री (₹)	कुल भुगतान (₹)
2015-16	860662	36900	897562
2016-17	790687	154970	945657
2017-18	1296641	444749	1741390
कुल भुगतान	**2947990**	**636619**	**3584609**

13 जे.सी.बी भाड़ा ₹2.00 लाख का अनियमित भुगतान

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2017 में निर्माण कार्य सड़क टिककर बांउड़ी से शील पुल से टिक्करी Phase-III व् IV के निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराए पर लेकर ₹2,00,000 का ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जोकि पैरा संख्या:9 में वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन व् स्वीकृत पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि भी अंकेक्षण को प्रस्तुत

नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों को जे0सी0बी0 भाड़ा भुगतान करते समय नियमानुसार अपेक्षित संवैधानिक कटौतियाँ जैसे आयकर, सेल्स, टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः उक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अपेक्षित वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करने के साथ–2 भविष्य मे नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी भाड़ा के अनियमित भुगतान का विवरण

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक	घन्टे	दर (₹)	कुल भुगतान (₹)
14th FC:- निर्माण सड़क टिककर बांउड़ी से शील पुल Phase-III व् IV					
1	हरीश ठाकुर ग्राम झांगन तहसील राजगढ़	36/ 30.08.17	50	1000	**50000**
2		37/ 30.08.17	50	1000	**50000**
3	------do------	38/ 30.08.17	50	1000	**50000**
4	------do------	39/ 30.08.17	50	1000	**50000**
कुल भुगतान			**200**	**1000**	**200000**

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं

(i) सीमेंट की खरीद HPSCS की अपेक्षा खुले बाजार से करने के कारण ₹0.04 लाख का अनियमित व्यय

निर्माण “कार्य संराय भवन, सामुही गुगा मन्दिर (सामान्य निधि)” हेतु चयनित माह 01/2016 में सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd से ₹275 प्रति बैग की दर से करने की अपेक्षा निजी विक्रेता अशोक ट्रेडर्स ददाहू रेणुका जी से ₹330 प्रति बैग की उच्च दर से की गई थी तथा इस प्रकार 71 बैग की खरीद पर ₹3,905{(330-275)x71} का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि पंचायत द्वारा HPSCS, Ltd से उक्त अवधि में सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii). TSC/SBM योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹3.36 लाख **से सम्बन्धित अभिलेख** अंकेक्षण को **प्रस्तुत न करना**

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 09/2016 में **पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC/SBM)** के अन्तर्गत **चेक संख्या 405772 से 405800** द्वारा **28** लाभार्थियों को ₹12,000 प्रति परिवार की हिसाब से **₹336000** का भुगतान दर्शाया गया था किन्तु वर्णित भुगतान से **सम्बन्धित स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि** अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है अथवा नहीं या लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय के निर्माण हेतु उक्त राशि का उपयोग **कर लिया गया है या नहीं** इत्यादि **बारे** अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii). Goods Receipts Note संख्या:911 की छाया प्रति पर ₹0.02 लाख का संदिग्ध भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 01/2016 में M/S Kansal Building Solutions Pvt. Ltd., Paonta Sahib से सम्बन्धित GR No:911 की छाया प्रति {25 pieces of 625x240x125 size Bricks @61/-each} पर ₹**1525** का भुगतान पारित कर राशि का आहरण किया गया था, जबकि उक्त GR की मूल(Original) प्रति पर 3 बैग Adhesive Bond @ 800/- each **₹2400** का भुगतान अलग से/पहले ही पारित कर राशि का आहरण किया जा चुका था। अतः इस प्रकार उक्त वर्णित GR की छाया प्रति पर **₹1525** का पारित भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिस बारे पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि का आहरण उचित न पाए जाने की स्थिति में इस की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित है जोकि अंकेक्षण से सम्बन्धित अवधि के लिए तैयार व् पारित नहीं किए गए थे जिसके कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा

भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार/पारित करवाकर, तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

16 **रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित** अनियमितताएँ

(क) उपयोग की गई रसीद बुकों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, और रसीदों पर की गई काट पीट व रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुकों का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

17 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जोकि गम्भीर अनियमितता है| अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |

8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|

9. स्टेशनरी रजिस्टर|

10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|

11. मस्ट्रोल रजिस्टर|

12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अंकेक्षण आपत्तियां

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको में विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है तथा भविष्य में जिसकी अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए|

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को बिल/वाउचर पर अंकित नहीं किया जा रहा था, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए|

iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसमें न तो कोई इति शेष और न ही अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन रोकड़ बही व बैंक खाते में जमा शेष राशि का मिलान पंचायत द्वारा तैयार की आय–व्यय तालिका व तुलनपत्र की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो पाई। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए।

iv) व्यय/भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की जा रही थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए|

20 लघु आपत्ति विवरणिका

यह पृथकता से जारी नहीं की गई थी। सभी लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया था।

21 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)86 / 2018 खण्ड–1–6328–6331 दिनांक–25.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला हि0प्र0।

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत कुलग, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881